न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 116/2016 दायरा दिनांक : 28.06.2016

उनवान

करीम उर्फ अब्दुल करीम आत्मज नन्हें खां, जाति मुसलमान, निवासी आवर, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— मोहम्मद सिद्धिकी पुत्र नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी आवर हाल बडौद मध्यप्रदेश

2— कालू आत्मज नन्हें खां, जाति मुसलमान, निवासी आवर, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

3— असलम पुत्र इस्माईल खां, जाति मुसलमान, निवासी आवर, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

4— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 117/2016 दायरा दिनांक : 28.06.2016

उनवान

अब्दुल करीम आत्मज नन्हें खां, जाति मुसलमान, निवासी आवर, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— मोहम्मद सिद्धिकी पुत्र नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी आवर हाल बडौद मध्यप्रदेश

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री महेन्द्र जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 08.01.2018**

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश की गय है । अपील संख्या 116/2016 उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या —9/दावा/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2016 एवं अपील संख्या 117/2016 उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या —142/दावा/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 116/2016 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट मोहम्मद सिद्धीक ने अपीलांट एवं अन्य

के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम लाडखेडा, तहसील पचपहाड में वादी और प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के शामलाती खाते में कुल 4 किता की 6 बीघा 7 बिस्वा आराजी दर्ज है । इसमें वादी और उसकी माता का 1/4 हिस्सा है । वादी की माता का इंतकाल हो चुका है । उनका एक मात्र वारिस वादी है । शामलाती खाते में आराजी रहने से झगडा फसाद होता रहता है । अतः वादी का खाता पृथक से दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया हैं कि पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया और अपीलांट की सहमति के बिना दावा डिक्री किया है । कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील संख्या 117/2016 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी और प्रतिवादी नम्बर 1 की पुश्तैनी आराजी है जो कि वादी के पिता नन्हें खां की मृत्यु के बाद उनके पुत्र और मेहताब बाई के खाते में दर्ज हुई थी । मेहताब बाई का देहान्त 25 वर्ष पूर्व हो चुका है और मेहताब बाई के चिलम के खर्चे जब प्रतिवादी नम्बर 1 की माता से मांगे गये तो 5000/– रूपये वादी से दिलवाये गये और उसकी ऐवज में वादग्रस्त आराजी में से अपना हक वादी के पक्ष में छोड दिया । इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 की माता ने अपना 1/4 हिस्सा वादी के पक्ष में छोड दिया है । इस पर

वादी का 25 वर्षों से कब्जा है । अतः प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/4 हिस्सा वादी के खाते में दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में बिना सी पी सी की पालना किये निर्णय पारित किया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सी पी सी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है फिर भी रेस्पोडेंट का दावा डिक्री किया है और अपीलांट का दावा खारिज किया है । अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । दोनों दावों को समेकित किया जाना आवश्यक था । अतः दोनों अपीले अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि लोक अदालत में विधिक रूप से रेस्पोडेंट का दावा डिक्री किया गया है । रेस्पोडेंट वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर

अपीलांट खातेदारी अधिकारों की घोषणा की प्रार्थना नहीं कर सकते हैं । अतः दोनों अपीले सारहीन होने से खारिज की जाये । अपने पक्ष के समर्थन में ए आई आर उडीसा 1998 पेज 117 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 9/2011 रेस्पोडेंट मोहम्मद सिद्धीक का विभाजन का दावा है जो कि दिनांक 6.12.2010 को पेश किया गया है । यह दावा जवाबदावे में लम्बित था और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में अपीलांट उपस्थित हुए है परन्तु उन्होंने हस्ताक्षर करने से इंकार किया है । राजीनामे पर भी उनके हस्ताक्षर नहीं हैं । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें समस्त पक्षकारान ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो, इसके अभाव में सी पी सी की पालना में जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी ने अपने 1/4 हिस्से को पृथक से दर्ज करने की प्रार्थना भी की है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री भी जारी नहीं की है । इस दृष्टि से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

अपील संख्या 117/2016 में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने हक घोषणा का दावा पेश किया था । यह दावा दिनांक 16.09.2010 को पेश किया गया है । यह दावा जवाबदावे में लम्बित था और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य आदेशिका के अनुसार भी सहमति नहीं बनी है इसके बावूजद अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर लोक अदालत में बिना

जवाबदावा लिये, बिना तनकीयात कायम किये बिना उभयपक्षीय साक्ष्य लिये दावे का निस्तारण किया है, जो त्रुटिपूर्ण है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 116/2016 एवं 117/2016 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2016 प्रकरण संख्या 9/दावा/2011 एवं निर्णय दिनांक 30.05.2016 प्रकरण संख्या 142/दावा/2010 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.07.2017 को उपस्थित होवें ।

अधीनस्थ न्यायालय को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि चूंकि दोनों दावे समान पक्षकारों के मध्य है और समान आराजी से सम्बन्धित है इसलिए इसको समेकित कर इसका एक साथ निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा